कार्यालय — जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया।

पत्रांक–/अंग्रेजी माध्यम मान्यता/ 9699-9706 /2018-19 दिनाँक: 29-09-18

प्रबंधक,

इरास इन्टरनेशलन पब्लिक स्कूल
ऊमरसाना–औरैया

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं०– 419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08–05–2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार तथा अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक मे मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनाँक 17.09.2018 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं **इरास इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल ऊमरसाना,विकास खण्ड–भाग्यनगर,औरैया** को दिनाँक 01.04.2018 से दिनाँक 31.03.2021 तक कक्षा प्री से कक्षा 8 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010(उपाबंध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3–विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4–पैरा– 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

- I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
- III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
- V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगें।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्क्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

क0सं0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	6666 मी0
2	कुल निर्मित क्षेत्र	1385.56 मी0 (एक मंजिला)
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	–
4	कक्षाओं की संख्या	13
5	प्रध्यापक –सह कार्यालय– सह भण्डारागार के लिये कक्ष	3
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिबल पम्प/हैण्डपम्प उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पतन सामग्री/क्रीडा खेल–कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	Manager उपलब्ध है।

Principal
Era s International Pubilc School

Era's International Public
School Umarsana,Auraiya

9– विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

10–विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यष्टि , व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकान्टेंट द्वारा सम्प्रीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू0हा0 स्कूल/अंग्रेजी माध्यम/2018–19/1/3 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है।जो मान्यता संबंधी शर्तो के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16 –सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17– संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18– विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

(एस0पी0सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया।

पृ0सं0/अंग्रेजी माध्यम मान्यता/ /2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नॉंकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शिक्षा निदेशक (बे0)उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
2– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)कानपुर मण्डल कानपुर।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी औरैया।
5– अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी औरैया।
6– पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी औरैया।
7– संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी औरैया।
8– कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया।

Principal
Era s International Public School

Manager
Era's International Public
School Umarsana,Auraiya

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - औरैया ।

पत्रांक शि0स0/ 5406-28 /2022-23 दिनांक 25-04-2022

प्रबन्धक,

एराज इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल,

ऊमरसाना - औरैया।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 18-04-2022 द्वारा विद्यालय को स्थायी मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक सं0 मान्यता /9699-9706/2018-19 दिनांक 29-09-2018 द्वारा विद्यालय को नर्सरी से कक्षा -08 तक की अंग्रेजी माध्यम की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी भाग्यनगर की संस्तुति दिनांक 23-04-2022 के आधार पर शासनादेश **संख्या- 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013** में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्याता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया है कि विद्यालय को नवीन शर्तों के आधार पर स्थाई मान्यता प्राप्त हो गई है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यावाही की जायेगी।

(चन्दना राम इकबाल यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया

पृदस0 शि0स0/ 5406-28 / 2022-23 तद् दिनांक

प्रतिलिपि - सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी भाग्यनगर को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया।

Digitally signed by Rahul Dev
Date: 2022.12.03 15:02:37 +05:30
Reason: reason
Location: location